# कार्यालय नगरपालिका निम्बाहेड़ा जिला – चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्टेशन रोड, निम्बाहेड़ा-312601

टेलीफोन-01477-220042, ईमेल- nagarpalika_nimbahera@yahoo.com

क्रमांक/नपानि/भूमि/2022-23/ 7888 दिनांक :-23/12/2022

## -:: सार्वजनिक नीलामी सूचना ::-

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा निम्नाकिंत कार्यक्रम अनुसार पालिका सीमा क्षैत्र मे निम्नांकित स्थानो पर आवासीय भूखण्डों/वाणिज्यिक दुकानो की निलामी राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं शहरी भूमि निष्पादन (संशोधन) नियम 2019 के प्रावधानोंनुसार 99 वर्षिय लीज होल्ड राईटस पर मौके पर समय दोपहर 2:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति मौके पर उपस्थित होकर मुताबिक शर्ते नीलाम बोली लगा सकते है। अमानत राशि मौके पर निलामी समाप्ति से पूर्व तक जमा की जा सकेगी। बोली बढती रही तो बोली समाप्त होने तक निलामी कार्यवाही चलती रहेगी।

| क्र.सं. | स्थान का नाम | दुकान सं. | दुकान साईज (फीट मे) | निलाम तिथि | अमानत राशि (बीडमनी) | आरक्षित/ सरकारी बोली |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डॉ.भीमराव अम्बेडकर बस स्टेण्ड योजना आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम मे श्री सावलिया जी विश्रांति गृह के पश्चिम दिशा मे निर्मित पालिका की दुकान | C-02 | 15'4"X9'3" = 167.81 | 16.01.2023 | 67000/- | 3331000/- |
| | | C-07 | 16'11"X9'3" = 182.93 | | 50000/- | 2426500/- |
| | | C-08 | 17'3"X9'3" = 183.96 | | 50000/- | 2415000/- |
| | | C-12 | 15X9'3" = 165 | 17.01.2023 | 55000/- | 2721000/- |
| | | C-17 | 15'7"X9'3" = 171.97 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | C-18 | 15'8"X9'3" = 173.07 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | C-19 | 15'10"X9'3" = 174.81 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | C-20 | 16'2"X9'3" = 177.55 | | 50000/- | 2415000/- |
| 2. | डॉ.भीमराव अम्बेडकर बस स्टेण्ड योजना आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम मे श्री सावलिया जी विश्रांति गृह के पूर्व दिशा मे निर्मित पालिका की दुकाने | A-01 | 14'3"X9'11" = 141.36 | 18.01.2023 | 62000/- | 3103000/- |
| | | A-02 | 14'3"X9'11" = 141.36 | | 45000/- | 2263000/- |
| | | A-03 | 21'11"X19'6" = 427.44 | | 110000/- | 5460000/- |
| | | A-04 | 9'3"X19'6" = 180.37 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | A-05 | 9'3"X19'6" = 180.37 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | A-06 | 9'3"X19'6" = 180.37 | 19.01.2023 | 45000/- | 2205000/- |
| | | A-07 | 9'3"X19'6" = 180.37 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | A-08 | 21'11"X19'2" = 419.98 | | 110000/- | 5460000/- |
| | | A-09 | 15'3"X10'3" = 156.31 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | A-10 | 15'3"X10'3" = 156.31 | | 45000/- | 2205000/- |
| 3. | डॉ.भीमराव अम्बेडकर बस स्टेण्ड योजना आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम मे श्री सावलिया जी विश्रांति गृह के उत्तर दिशा मे निर्मित पालिका की दुकाने | B-01 | 18X10'3" = 184.50 | 20.01.2023 | 50000/- | 2415000/- |
| | | B-02 | 18X10'3" = 184.50 | | 50000/- | 2415000/- |
| | | B-03 | 18X10'3" = 184.50 | | 50000/- | 2415000/- |
| | | B-04 | 18X10'3" = 184.50 | | 50000/- | 2415000/- |
| | | B-05 | 11'2"X10'9" = 120.08 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | B-06 | 11'2"X10'9" = 120.08 | 23.01.2023 | 45000/- | 2205000/- |
| | | B-07 | 11'2"X10'9" = 120.08 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | B-08 | 11'2"X10'9" = 120.08 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | B-09 | 11'2"X10'9" = 120.08 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | B-10 | 11'2"X10'9" = 120.08 | | 46000/- | 2310000/- |
| | | B-11 | 11'2"X10'9" = 120.08 | 24.01.2023 | 45000/- | 2205000/- |
| | | B-12 | 11'2"X10'9" = 120.08 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | B-13 | 11'2"X10'9" = 120.08 | | 45000/- | 2205000/- |
| | | B-14 | 11'2"X10'9" = 120.08 | | 45000/- | 2205000/- |
| 4. | इन्द्रा कालोनी सुलभ काम्प्लेक्स के पास निर्मित दुकाने मय बेसमेंट | 5 | 9'X18' = 162 | 24.01.2023 | 70000/- | 3476000/- |
| 5. | इन्द्रा कालोनी मे आवासीय भूखण्ड | 128 | 18.9X40 = 750 | 30.01.2023 | 25000/- | 525/- |
| | | 146 | 20+25/2X45+47/2 = 1035 | | | |
| | | 179 | 20X40 = 800 | | | |

CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | आदर्श कालोनी नगरपालिका कर्मचारी कालोनी मे आवासीय भूखण्ड़ | 48 | 64X50 = 3200 | **31.01.2023** | 100000/- | 1260/- |
| | | 69A | 25X49 = 1225 | **31.01.2023** | 50000/- | 1260/- |
| 7. | आदर्श कालोनी पुरानी स्कीम मे स्वर्गीय रामनिवास जी लुहाडिया के मकान के पास खाली भूखण्ड | 220 | 30X56 = 1680 | **31.01.2023** | 50000/- | 1260/- |
| 8. | आदर्श कालोनी विस्तार योजना क्रमांक 2 मे आवासीय भूखण्ड़ (रजा कॉलोनी) | 26 | 20X49 = 980 | **01.02.2023** | 25000/- | 261/- |
| | | 41 | 20X49 = 980 | | 25000/- | 261/- |
| | | 45 | 20X49 = 980 | | 25000/- | 261/- |
| | | 53 | 20X49 = 980 | | 25000/- | 261/- |
| | | 67 | 20X49 = 980 | | 25000/- | 261/- |
| | | 85 | 20X49 = 980 | | 25000/- | 261/- |
| 9. | वसुन्धरा विहार आवासीय योजना मे आवासीय भूखण्ड़ | 57 | 55X70 = -R10 = 3828.5 | **02.02.2023** | 50000/- | 1270/- |
| | | 229 | 40X60 = 2400 | | 50000/- | 670/- |
| | | 230 | 40X60 = 2400 | | 50000/- | 650/- |
| | | 484 | 100X200 = 20000 | | 500000/- | 265/- |
| | | 212 | 30X60 = 1800 | **06.02.2023** | 25000/- | 510/- |
| | | 266 | 30X50 = 1500 | | 25000/- | 650/- |
| | | 274 | 30X50 = 1500 | | 25000/- | 660/- |
| | | 485 | 100X200 = 20000 | | 500000/- | 265/- |
| | | 160A | 12X37.5 = 450 | **07.02.2023** | 10000/- | 265/- |
| | | 166A | 12X37.5 = 450 | | 10000/- | 265/- |
| | | 230A | 12X37.5 = 450 | | 10000/- | 265/- |
| | | 236A | 12X37.5 = 450 | | 10000/- | 265/- |
| | | 486 | 100X200 = 20000 | | 500000/- | 265/- |
| | | 300A | 12X37.5 = 450 | **08.02.2023** | 10000/- | 265/- |
| | | 306A | 12X37.5 = 450 | | 10000/- | 265/- |
| | | 340A | 20X37.5 = 450 | | 10000/- | 265/- |
| | | 487 | 100X200 = 20000 | | 500000/- | 265/- |
| | | 488 | 100X200 = 20000 | | 500000/- | 290/- |

**नोट– आवासीय भूखण्डो/दुकानो के विक्रय की निम्न शर्ते होगी।**

1. प्रत्येक बोलीदाता से नीलामी मे बोली लगाने से पूर्व नीचे विर्निष्ट रकम जमा कराने की अपेक्षा की जावेगी। जो बोली के अन्त मे उसे प्रतिसंदत कर दी जावेगी या सफल बोली दाता की दशा मे प्रीमियम के प्रति समायोजित कर ली जावेगी। जिस व्यक्ति के नाम उच्चतम बोली समाप्त होगी उसे निलामी की तारीख से तीन कार्य दिवसो के भीतर अपनी बोली की 15 प्रतिशत राशि जमा कराना होगी निर्धारित समयावधि तीन कार्य दिवस मे राशि जमा कराने मे विफल रहने पर विफलता के कारण बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा, दुकान की निलामी स्वचलित रूप से रद्द हो जावेगी।
2. बोली लगाने वाले व्यक्ति को फोटो पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/पेन कार्ड/राशनकार्ड/आधारकार्ड की प्रति पहचान के रूप मे बोली स्थल पर प्रस्तुत करना होगी अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने पर नोटरी से तस्दीकशुदा अधिकार पत्र निलाम समिति को प्रस्तुत करना होगा।
3. आवासीय भूखण्डों में आरक्षित मुल्य की 2.5 प्रतिशत वार्षिक लीज मनी जमा करानी होगी एवं आवासीय/व्यवसायिक दुकानें 99 वर्षीय लीज होल्ड राईट्स पर निलाम की जावेगी तथा दुकानो पर आरक्षित मुल्य की 5% वार्षिक दर से लीजमनी जमा कराना होगी।
4. आवासीय भूखण्डों/दुकानो की रजिस्ट्री खरीददार को अपने स्वयं के व्यय से करानी होगी।
5. भूमि विक्रय सम्बन्धी समस्त नियमों एवं आदेशों की अनुपालना क्रेता को अनिवार्य रूप से करना होगी।
6. नल, बिजली, सड़क, पानी आदि निर्माण बोर्ड की सुविधानुसार/निर्देशानुसार किया जावेगा।
7. योजना मे विभिन्न साईज के दुकानो की मौके की स्थिति अनुसार उपलब्ध क्षैत्रफल की राशि सफल बोलीदाता को निलामी मे प्रदत्त बोली अनुसार जमा कराना होगी।
8. निलामी की बोली उस समय तक अस्थाई होगी। जब तक सक्षम अधिकारी उसे स्वीकार न कर दे बोली स्वीकार होने पर सफल बोलीदाता को बोली राशि की 15% राशि निलामी दिनांक से 03 कार्य दिवस में तथा बोली राशि की 35% राशि 120 दिनो के भीतर जमा कराना होगी, निर्धारित अवधि मे बोलीदाता 35% राशि जमा कराने मे विफल रहता है तो उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद बोलीदाता अगले 60 दिनो मे या विस्तारित समयावधि के भीतर शेष राशि पर 15% की दर से ब्याज सहित राशि जमा करा सकेगा।
   1) सफल बोलीदाता को निलामी दिनांक से 180 दिवस के भीतर बोली की शेष राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कराना होगी यदि बोलीदाता 180 दिनो के भीतर 50 प्रतिशत राशि जमा कराने मे विफल रहता है तो उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद 90 दिनो मे निलामी दिनांक से 15% वार्षिक ब्याज सहित जमा करा सकेगा, विस्तारित समयावधि के भीतर बोलीदाता राशि जमा कराने मे विफल रहता है तो विफलता के मामले मे शुरू मे जमा की गई 15% राशि जब्त की जावेगी और निलामी स्वतः रद्द हो जावेगी।

CS CamScanner

2) यदि सफल बोलीदाता मांग सूचना पत्र जारी होने के पश्चात् सूचना पत्र जारी की जाने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर सम्पूर्ण राशि जमा कराता है तो उसे बोली राशि की एक प्रतिशत छुट दी जावेगी।

9. **दुकानो का छताधिकार नगरपालिका मे निहित होगा एवं नाल जो छत पर जाने का रास्ता है तथा दुकानो के सामने स्थित चौक नगरपालिका के स्वामित्व मे रहेगा।**

10. अन्य सभी राजकीय नियमों आदेशों (समय–समय पर यथा संशोधित) की पालना खरीददार को करना होगी तथा भविष्य मे इस बाबत् कोई नियम बनाये जावेगे तो वह दुकानो पर लागू होगे।

11. निलामी स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निलाम समिति मे निहित होगा, जो समस्त बोलीदाताओ को मान्य होगा।

12. अन्य शर्ते एवं जानकारी कार्यालय समय मे कार्यालय मे देखी जा सकेगी।

**( सुभाषचन्द्र शारदा )**
**अध्यक्ष**
**नगरपालिका, निम्बाहेड़ा**

**( सौरभ कुमार जिन्दल )**
**अधिशाषी अधिकारी**
**नगरपालिका, निम्बाहेड़ा**

**क्रमांक/नपानि/भूमि/2022-23/** 7889-7899 **दिनांक :-**23/12/**2022**

**प्रतिलिपी :- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय निम्बाहेड़ा।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा।
4. श्री सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका निम्बाहेडा को प्रेषित कर लेख है कि निलाम किये जाने वाले भूखण्डो/दुकानो की मौके पर नम्बरिंग निलामी तिथि से पूर्व करवाया जावे।
5. श्री स्वास्थ निरीक्षक/अतिक्रमण प्रभारी नगरपालिका निम्बाहेड़ा को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि निलामी दिवस मे निलामी स्थल पर सफाई पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करावें। एवं मौके पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण हो तो निलामी तिथि से पूर्व हटवाया जावे।
6. श्री स्टोर किपर को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि निलामी सूचना के 5000 पम्पलेट छपवाये जाकर वितरण कराये जावें, तथा निलामी स्थल एवं शहर के प्रमुख स्थानो पर निलामी सूचना पट्ट होडिग्स लगाये जावे। निलामी का व्यापक प्रचार–प्रसार माईक द्वारा शहर मे एक सप्ताह पूर्व से प्रारम्भ किया जाकर निलामी समाप्ति दिनांक तक प्रतिदिन कराया जावें, एवं निलामी दिनांक को निलामी स्थल पर टेन्ट शामियाना पेय जल, व पचास कुर्सिया एवं चार टेबल मय कवर के व्यवस्था सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड/मोतीगेट/चित्तौडी गेट/पंचायत समिति/उपखण्ड कार्यालय/नाका नं0 1 पर चस्पा।
8. नगरपालिका चित्तौड़गढ़/कपासन/बेंगू/प्रतापगढ़/रावत भाटा/छोटीसादडी/बडीसादडी को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निलामी सूचना अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का श्रम करें। चित्तौड़गढ़ जयपुर संस्करण
9. श्रीमान् संपादक महोदय दैनिक नवज्योति ........ को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के आगामी अंक मे न्युनतम स्पेस (कम से कम) मे शुद्ध रूप से प्रकाशित करवाकर बिल 3 प्रतियों सहित पालिका को भिजवाने का श्रम करावे।
10. श्री समस्त पार्षद महानुभाव नगरपालिका निम्बाहेड़ा को सूचनार्थ प्रेषित है।
11. सुरक्षित पत्रावली।

**( सौरभ कुमार जिन्दल )**
**अधिशाषी अधिकारी**
**नगरपालिका, निम्बाहेड़ा**

CamScanner